

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

उत्तरांक:प.1(1)विस्वा/युप-2/2020


जयपुर, दिनांक : 10.04.2020

आदेश

राज्य सरकार के संज्ञान में आया है कि वरिष्ठ नागरिक एवं अन्य रोगी जिनकी Chronic Diseases की नियमित दवाएं चलती हैं, वह कोरोना वायरस (COVID-19) के महामारि राजकीय चिकित्सक से परामर्श प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं/अथवा अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे मरीजों को कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को देखते हुए एक फरवरी, 2020 या उसके बाद के राजकीय चिकित्सकीय परामर्श (Prescription) के आधार नियमित दवाएं मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जावे। चिकित्सकीय परामर्श की पर्ची की दवा राज्य के किसी भी अस्पताल/सीएचसी/पीएचसी से प्राप्त की जा सकती है।


साथ ही राजस्थान राज्य के समस्त कमिस्टों को निर्देशित किया जाता है कि वह 01 फरवरी, 2020 के बाद से मरीज के चिकित्सकीय परामर्श (Prescription) के आधार पर जो दवाएं उन्हें नियमित रूप से दिया जाना आवश्यक हो, उपलब्ध कराई जावे तथा चिकित्सकीय परामर्श (Prescription) पर "दवा उपलब्ध कराया दी गई" लिखते हुए अपनी मोहर भी लगाया जाना सुनिश्चित किया जावे।


उक्त आदेश राज्य में लॉक डाउन समाप्त होने पर स्वतः ही निष्प्रभावी माने जावे।


10/04/2020
(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/
2. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य निगम।
6. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम, राज. जयपुर।
7. समस्त जिला कलेक्टर, राज.
8. समस्त प्रजानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जयपुर
9. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज. जयपुर
10. औपधि नियंत्रक, प्रथम/द्वितीय, औपधि नियंत्रण संगठन, राज. जयपुर
11. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज.
12. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
13. कमिस्ट एसासिस्टेन्स, राज. जयपुर
14. निजी / स्थित पत्रावली


(संजय कुमार)
शासन सचिव



Scanned with
CS
Scanned with
CamScanner

RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PMCF TRUST

Office of the Chief Controller of Accounts, RVPNL

Vidyut Bhawan, Jyoti Nagar, Jaipur-302005

No. RRVPNL/Sr.A.O.(Pen.)/PMCF/D. 34

DI. 22/5/2020

Copy of order No. प. 1 (1) विस्या/ गुप-2 /2020 जयपुर, दिनांक :- 10.04.2020 Issued by विकित्ता एतं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार is submitted/forwarded to the following for information & necessary action:-

1. The Secretary (Admn.), RVPN/JVVNL/AVVNL/Jd.VVNL, Jaipur/Ajmer/Jodhpur.
2. The Chief Engineer/ Zonal Chief Engineer _____ RVPN,JVVNL, AVVNL, Jd.VVNL,RVUNL _____.
3. The Company Secretary, RVPNL, Jaipur.
4. Regional CAO, RVPNL, Jaipur, Jodhpur, Ajmer.
5. The CPO/JDP/DDP, RVPN/JVVNL/AVVNL/Jd.VVNL/RVUNL, Jaipur/Ajmer/Jodhpur.
6. The Accounts Officer (_____), RVPN/JVVNL/AVVNL/Jd.VVNL/RVUNL, _____.
7. The Data Centre, RVPN, 101, Vidhyut Bhawan, Jaipur for loading on website.

Chief Accounts Officer (P&F)

Member Secretary, RRVPMCF Trust